



मण्डल कार्यालय, अजमेर वेतन बचत योजना प्राधिकार-पत्र

केवल राजस्थान राज्य कर्मचारियों के लिए जैसे: राजस्थान के समस्त विभाग, राज. विद्युत मण्डल, रोडवेज, पंचायत समिति आदि : सेवा में प्रस्तावक द्वारा पॉलिसी विवरण पद, के अतिरिक्त दो प्रतियों में पूर्ण किया जाये)

वेतन आहरण एवं
सवितरण अधिकारी का पता
स्थान :
दिनांक :

महोदय,

मैंने भारतीय जीवन बीमा से वेतन बचत योजना के अन्तर्गत एक जीवन बीमा पॉलिसी ली है। पॉलिसी का विवरण नीचे दिया गया है: प्रतिमास वेतन से कटौती करवाकर प्रीमियम देना चाहता हूँ। निवेदन है कि अधोलिखित किस्त की राशि सम्मुख लिखे गये मेरे वेतन में से लगातार प्रतिमाह कटौती की जाकर और बचाया राशि वह भी ब्याज सहित काटकर प्रबन्धक भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय को राशि भेजने की व्यवस्था करें। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि आपका उत्तर दायित्व अन्तिम कटौती के मास तथा वर्ष तक अथवा मेरे द्वारा आपको तथा जीवन बीमा निगम को प्राधिकार निरस्त किया जाने हेतु विशिष्ट नोटिस तक मेरे वेतन से बीमा किस्त कटौती की जाकर राशि समय पर जीवन बीमा निगम को भेजने की व्यवस्था करने तक सीमित है। मैं यह भी स्वीकार करता हूँ न्यूनतम पाँच वर्ष तक किस्तें जमा करवाने से पूर्व प्राधिकार नोटिस, वापिस नहीं लूंगा। अपने नियन्त्रण से बाहर के कारणों तथा मेरे अवैतनिक अवकाश पर चले जाने अथवा बीमा निगम को उचित नोटिस द्वारा ही प्राधिकार पत्र वापिस लेने अथवा मेरे स्थानान्तरण किसी ऐसे कार्यालय में होने पर जहां बचत योजना लागू न हो फलस्वरूप बीमा किस्त जमा न होने पर परिणाम के प्रति मेरा पूर्ण उत्तरदायित्व होगा। किसी भी स्थिति में अथवा किसी भी कारणवश भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा आपके कार्यालय से वेतन बचत योजना निरस्त किये जाने पर बीमा किस्तों की राशि सीधे भारतीय बीमा निगम को भेजने की व्यवस्था करें अपनी पॉलिसी की कालातीत होने से बचाने का उत्तरदायित्व मेरा होगा।

बीमाधारी का पूरा नाम (साफ अक्षरों में)
पद का नाम वेतन पंजी. बैच संख्या
विभाग का नाम
भवदीय
हस्ताक्षर

पॉलिसी विवरण

पॉलिसी संख्या बीमा राशि पी. ए. कोड संख्या
बीमा किस्त जिस मास से वेतन कटौती प्रारम्भ करनी है।

अन्तिम किस्त कटौती का मास तथा वर्ष कृ. व./ शाखा प्रबन्धक

मण्डल प्रबन्धक

भारतीय जीवन बीमा निगम

अजमेर (राज.)

विशेष : यह केवल उन सरकारी कर्मचारियों के लिए है जिनकी प्रीमियम राशि वेतन से कटौती की जाकर कोष कार्यालय द्वारा भेजी जाती है। सम्बन्धित वेतन आहरण तथा सवितरण अधिकारी कृपया पॉलिसी अंकित कर भेजें।

विषय : पॉलिसी संख्या श्री के जीवन पर
उक्त पॉलिसी संख्या के अन्तर्गत बीमाधारी का वेतन किस्त की कटौती किये जाने हेतु प्राधिकार-पत्र प्राप्त हुआ।
हमने के कटौती प्रारम्भ कर दी। हमारे विभाग का फोन नं. है।

भवदीय